FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0005 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/01/2024 18:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/07/2023 **Date To (दिनांक तक):** 03/08/2023
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/01/2024 **Time (समय):** 16:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/01/2024 18:07:27 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** Genta, Piplada

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Tarachand Aarya

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Kanheyalal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1965 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Genta, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Genta, Piplada, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7014350071

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Amjad Khan		पिता:Taj Mohammad	1. Sanjay nager,Digod,KOTA RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 1,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2023 समय 11ः30 ए.एम पर परिवादी श्री ताराचंद आर्य पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति खटीक उम्र 59 साल निवासी ग्राम गैंता, तहसील पीपल्दा तत्कालीन रेंजर सेटलमेंट कार्यालय उपवन संरक्षक, कोटा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आषय का पेष किया कि ''मैं ताराचंद आर्य क्षेत्रीय वन अधिकारी सेटलमेंट कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा में कार्यरत हूं। मैं फरवरी 2023 से जून 2023 तक गष्तीदल कोटा में था, परन्तु डीएफओ जयराम पांडे द्वारा मुझे जून 2023 मंे गष्तीदल से हटाकर जानबूझकर खुद के कार्यालय में सेटलमेंट रेंजर के पद पर लगा दिया। जबकि मेरा रेंज खातौली वन विभाग से स्थानान्तरण पर सिविल सेवा अपील अभिकरण, जयपुर द्वारा रोक लगाई हुई है। यह आदेष 18.1.2023 का है। इसके मुताबिक मेरा स्थानान्तरण खातोली से कोटा कार्यालय नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डीएफओ साहब के सहायक वनपाल अमजद खान द्वारा मुझे पूर्व में दिये गये धारा 17 सीसीए के नोटिस को फाईल कराने तथा वापस गष्तीदल कोटा में लगाऐ जाने की एवज में बुलाकर मुझसे रिष्वत की मांग की गई है। मेरी कोई भी गलती नहीं होने की वजह से मैं इन दोनों को रिष्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि इन दोनों को रिष्वत लेते हुऐ पकडवाना चाहता हूं। मैने धारा 17 के नोटिस का जवाब 10-15 दिन पूर्व दे दिया है। सहायक वनपाल द्वारा मुझे बुलाया जा रहा है, आज वो मुझसे रिष्वत की मांग कर सकता है। कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी श्री ताराचंद ने मजीद दरयाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित होना बताते हुऐ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहरायेे व बताया कि श्री जयराम पांडे मुझसे सीधे बात नहीं कर सहायक वनपाल श्री अमजद खान के मार्फत मुझसे बात करेगा। श्री अमजद खान मुझे कोटा स्थित उसके कार्यालय पर ही मिलेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री नरेश यादव कानि. को तलब कर परिवादी का परिचय करवाया गया। मालखाने से डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर निकलवाकर परिवादी को चलाने व बंद करने की समझाईश कर सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वत मांग वार्ता के दौरान होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे। परिवादी श्री तारांचद को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतू क्षेत्रीय वन अधिकारी सेटलमेंट कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा रवाना किया। श्री नरेश यादव कानि. को वार्ता की निगरानी हेतु परिवादी के साथ मुनासिब हिदायत कर रवाना किया। समय 06ः00 पी.एम. पर श्री नरेष यादव कानि. वापस आया व डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर मन अति. पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के हमराह कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, सेंटलमेंट कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा पहुॅचा। जहाॅ परिवादी को डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर चालू करवाकर रिष्वत मांग के सत्यापन हेतु रवाना किया। मै कार्यालय के बाहर अपनी उपस्थित छुपाते हुये परिवादी की निगरानी करता रहा। थोडी देर बाद परिवादी वापस आया व आरोपी के उपस्थित नहीं मिलने की बात बताई। इस पर परिवादी के कहेनुसार श्री अमजद खान, सहायक वनपाल का इंतजार करने लगे। कार्यालय समय समाप्त होने तक आरोपी नहीं आया। आरोपी के नहीं मिलने के कारण रिष्वत मांग का सत्यापन नहीं हो सका। परिवादी ने वापस कार्यालय आने में असमर्थता जाहिर करने पर परिवादी से डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर प्राप्त किया। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी के सूचित करने पर पुनः रिष्वत मांग का सत्यापन करवाया जावेगा। दिनांक 25.07.2023 समय 10ः00 ए.एम. परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन श्री नरेष कानि. को बताया कि आरोपी आज उसके कार्यालय में बात कर सकता है, मेरी उससे मोबाईल पर बात हुई थी । इस पर मालखाना से डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर निकलवाकर श्री नरेष कानि. को सुपुर्द किया गया। श्री नरेष कानि. को परिवादी के बताये स्थान पर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिष्वत मांग का सत्यापन कराने हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 06ः00 पी.एम. पर श्री नरेष यादव कानि. वापस आया व डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर मन अति. पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर क्षेत्रीय वन अधिकारी सेटलमेंट कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा पहुॅचा। जहाॅ परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि थोडी देर मैं अमजद खान आने वाला है, इस पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर चालू करवाकर रिष्वत मांग के सत्यापन हेतु रवाना किया। मै कार्यालय के बाहर अपनी उपस्थित छुपाते हुये परिवादी की निगरानी करता रहा। काफी इंतजार करने के बाद परिवादी वापस आया व आरोपी के उपस्थित नहीं मिलने की बात बताई। आरोपी के उपस्थित नहीं मिलने के कारण रिष्वत मांग का सत्यापन नहीं हो सका।

परिवादी ने वापस कार्यालय आने में असमर्थता जाहिर करने पर परिवादी से डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर प्राप्त किया। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी के सूचित करने पर पुनः रिष्वत मांग का सत्यापन करवाया जावेगा। दिनांक 03.08.2023 समय 10ः30 ए.एम. पर परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन श्री नरेष कानि. को बताया कि आरोपी आज उसके कार्यालय में बात कर सकता है, मेरी उससे मोबाईल पर बात हुई थी। इस पर मालखाना से डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर निकलवाकर श्री नरेष कानि. को सुपुर्द किया गया। श्री नरेष कानि. को परिवादी के बताये स्थान पर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिष्वत मांग का सत्यापन कराने हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 03.08.2023 समय 03ः30 पी.एम. पर श्री नरेष यादव कानि. वापस आया व डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर मन अति. पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर क्षेत्रीय वन अधिकारी सेटलमेंट कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा पहुॅचा। जहाॅ परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर चालू करवाकर रिष्वत मांग के सत्यापन हेतु रवाना किया। मै कार्यालय के बाहर अपनी उपस्थित छुपाते हुये परिवादी की निगरानी करता रहा। काफी इंतजार करने के बाद परिवादी वापस आया व बताया कि श्री अमजद खान से मेरी वार्ता हो गई है, अमजद ने मुझसे मेरे नोटिस को फाईल कराने के लिए एक पेटी कहकर रिष्वत राषि की मांग की है, लेकिन पैसे कब लेगा यह नहीं बताया है। वह आज ही डी.एफ.ओ. साहब से वार्ता कर फाईनल करेगा। अमजद ने मुझे थोडी देर इंतजार करने के लिए कहा है। इस पर परिवादी को पुनः डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर रवाना किया। काफी इंतजार करने के बाद परिवादी वापस आया व बताया कि अंदर श्री जयराम पांडे, डीएफ.ओ. साहब की मीटिंग चल रही है, श्री अमजद खान, सहायक वनपाल बाहर नहीं आया है, वह बहुत चालाक है, हो सकता है वह कहीं छुपकर मेरी निगरानी कर रहा हो, परिवादी द्वारा शंका जाहिर करने पर परिवादी से डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर लेकर वापस आया। परिवादी को वहीं छोडा गया। इस पर डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर को मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चालू कर सुना गया तो श्री नरेष कानि. के बताये तथ्यों की पुष्टि हुई। डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर को जमा मालखाना करवाया गया। आईन्दा परिवादी के सूचित करने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 29.08.2023 समय 10ः30 ए.एम. पर परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि काफी दिन बीत चुके है, मेरे पास अमजद का फोन नहीं आया है, आज हमारे आॅफिस में मीटिंग है। आज अमजद भी मीटिंग में आयेगा। आज भी अमजद मेरे से बातचीत कर सकता है। इस पर मालखाना से डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर निकलवाकर श्री नरेष कानि. को सुपुर्द किया गया। श्री नरेष कानि. को परिवादी के बताये स्थान पर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिष्वत मांग का सत्यापन कराने हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 11ः55 ए.एम. पर श्री नरेष यादव कानि. वापस आया व डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर मन अति. पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर क्षेत्रीय वन अधिकारी सेटलमेंट कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा पहुॅचा। जहाॅ परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर चालू करवाकर रिष्वत मांग के सत्यापन हेतु रवाना किया। मै कार्यालय के बाहर अपनी उपस्थित छुपाते हुये परिवादी की निगरानी करता रहा। काफी इंतजार करने के बाद परिवादी वापस आया व बताया कि मुझे अचानक अमजद मिल गया था। उसने टिप्पणी करने का कह दिया है। अमजद ने यह भी कहा कि ''वो तो सिस्टम है वो तो रहेगा मामला''। अमजद ने मेरे नोटिस पर सही टिप्पणी करने के लिए कह दिया है। मैने पैसों के लिए अमजद को कहा तो उसने बाद में बताने के लिए कहा है। मैने परिवादी श्री ताराचंद को कार्यालय में आने के लिए कहा तो परिवादी ने कहा कि अमजद बाहर ही घूम रहा है, हो सकता है वह कहीं छुपकर मेरी निगरानी कर रहा हो, परिवादी द्वारा शंका जाहिर करने पर परिवादी से डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर लेकर वापस आया। परिवादी को वहीं छोडा गया। इस पर डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर को मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चालू कर सुना गया तो श्री नरेष कानि. के बताये तथ्यों की पुष्टि हुई। आरोपी अमजद ने रिष्वत राषि कब और कहां लेगा, इसके बारे में वार्ता नहीं की है। डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर को जमा मालखाना करवाया गया। आईन्दा परिवादी के सूचित करने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.09.2023 समय 02.30पी.एम. पर जरिये मोबाईल फोन परिवादी ने अवगत कराया कि कल दिनांक 18.09.2023 को कोटा कार्यालय पर मीटिंग है। कल आरोपी अमजद मुझसे से रिष्वत राषि ले सकता है, वह अचानक ही मुझसे रिष्वत की मांग करेगा अधिक समय नहीं देगा इसलिए पूरी तैयारी के साथ चलना पडेगा। इस पर परिवादी को रिष्वत राषि लेकर समय 10ः00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। टेªप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहों की आवष्यकता होने से गवाहों की तलबी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 18.09.2023 समय 09.30 ए.एम. पर श्री नरेष कानि. को दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु आयुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर) के नाम तहरीर देकर रवाना किया। समय 10ः00 ए.एम. पर परिवादी श्री ताराचंद आर्य उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मेरे पास केवल 50,000रूपये की व्यवस्था हुई है। मै 50,000रूपये ही असली तथा 50,000रूपये के नकली नोट (डमी नोट) लेकर आया हूं और परिवादी ने बताया कि हमारी मीटिंग करीबन 11 बजे शुरू हो जायेगी। मीटिंग शुरू होने के पहले ही आरोपी रिष्वत राषि ले सकता है। मीटिंग शुरू होने के बाद अमजद खान, सहायक वनपाल बाहर नहीं आयेगा। समय 10ः05 ए.एम पर श्री नरेष कानि. मय तहरीर मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री देवेष गुर्जर, कनिष्ठ सहायक तथा श्री रवि कुमार डागर कनिष्ठ सहायक नगर निगम उत्तर कोटा के उपस्थित कार्यालय आये। दोंनो गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने

की मौखिक सहमति प्राप्त की गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी श्री तारांचद से करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दोनों गवाहान से पढवाया जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये। इस पर मालखाना में रखे डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर को निकलवाया जाकर दिनांक 03.08.2023 को रिकाॅर्ड सत्यापन वार्ता के मुख्य अंष दोनों गवाहान व परिवादी को सुनाये गये। चूंकि परिवादी ने मीटिंग 11 बजे शुरू होना व रिष्वत राषि मीटिंग से पहले लेना बताया है अतः रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट बनाने में समय लगने की संभावना है जिसे आईन्दा तैयार करवाया जावेगा। समय 10ः15 ए.एम पर परिवादी श्री ताराचंद आर्य ने अपने पास से निकालकर आरोपी को बतौर रिष्वत दिये जाने हेतु भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोट कुल पचास हजार रूपये तथा 500-500रूपये के 100 डमी नोट मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पेष किये। सभी डमी नोटों पर नम्बर DUK 616850 अंकित है। भारतीय मुद्रा के नोटों के नम्बर पृथक पृथक निम्न प्रकार अंकित करवाये गये।

1 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
1GQ 301390
2 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
8SH 271680
3 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
0PQ 878269
4 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
5FG 252313
5 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
1CV702130
6 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
1KU 355621
7 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
6NN 264736
8 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
6LB 112040
9 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
7LS 718094
10 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
7RG 032095
11 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
5 SK 354324
12 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
8PT 057074
13 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
3QU 381319
14 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
2PL 652169
15 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
4RR 500829
16 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
0UT 240772
17 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
3TU 364693
18 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
8 WD 699926
19 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी
1RM 300239
20 एक नोट पाॅच सौ रूपये का नम्बरी

40 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
9MQ 247171
41 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
1BL 716691
42 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
2FW 778647
43 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
2ER962513
44 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
9GN740153
45 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
0HU 895077
46 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
8EB 543284
47 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
0TM 094422
48 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
9FU 563580
49 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
5KQ 899389
50 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
3AU 435071
51 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
6GR 811391
52 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
9DS 647427
53 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
0DD 758370
54 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
7VK 068445
55 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
5QP 601343
56 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
1GR 120603
57 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
6BC 092394
58 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
6MT 872245
59 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
5KS 037448
60 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
2GE 314815
61 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
7HN 862400
62 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
7RQ 103307
63 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
7KD 133555

88 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
5HT 619119
89 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
7MA 539711
90 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
3CL 530937
91 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
6TW 976477
92 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
7 NV 967971
93 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
6MA 747225
94 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
6RK 676524
95 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
6BT 743934
96 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
1GR 303637
97 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
2FN 057238
98 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
8MW 451388
99 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
8UR 802390
100 एक नोट पा ॅच सौ रूपये का नम्बरी
4VA 515280

श्रीमती कीर्ति चैधरी म0कानि0 एसीबी कोटा देहात के द्वारा कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एवं एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री देवेष गुर्जर से परिवादी श्री ताराचंद की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमती कीर्ति चैधरी म0कानि0 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की आगे की दांयी जेब में रखवाये गये। टे्रप बा ॅक्स में रखं े कांच के एक गिलास में साफ पानी लेकर उसम ं े एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती कीर्ति चैधरी म0कानि0 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटा ं े को रास्ते म ं े अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर करे। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया गया। नोटों पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमती कीर्ति चैधरी म0कानि0 के दोनों हाथों को अच्छी तरह धुलवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती कीर्ति चैधरी म0कानि0 से वापस मालखाने मे रखवाया गया। टे्रप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वा ॅईस रिका ॅर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वा ॅईस रिका ॅर्डर परिवादी की पेंट की आगे की बांयी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वा ॅईस रिकार्डर म ं े रिका ॅर्ड करे। फर्द पेषकषी व फिनोफथ्लीन पाउडर पृथक से मुर्तिब की गई। समय 10 ः50 ए.एम. पर परिवादी श्री ताराचंद को स्वयं की मोटरसाईकिल से तथा श्री पवन कुमार कानि. व श्री नरेश यादव कानि. को सरकारी मोटरसाईकिल से

राषि को स्वतंत्र गवाह श्री देवेष गुर्जर से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर श्री देवेष गुर्जर के पास रखवाये गये। परिवादी को गोपनियता की हिदायत कर उसके कहेनुसार मीटिंग होने से वहीं छोडा गया। समय 11ः50 ए.एम. पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, मय लैपटॉप प्रिन्टर मय वाहन सरकारी चालक विषेष कुमार के कार्यालय हेतु रवाना हुई तथा श्री पवन कुमार कानि. व श्री नरेष कानि. को सरकारी मोटरसाईकिल से कार्यालय पहुॅचने की हिदायत की गई। समय 12ः20 पी.एम. पर मन अति. पुलिस अधीक्षक डां. प्रेरणा शेखावत मय श्री गिरिराज कानि. मय चालक विषेष कुमार मय स्वतंत्र गवाहान मय रिष्वत राषि मय टेªप सामग्री के वापस कार्यालय आई। स्वतंत्र गवाह श्री देवेष गुर्जर के पास रखे रिष्वत राषि के लिफाफे व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर मालखाने में सुरक्षित रखवाये गये। चूंकि परिवादी उपस्थित नहीं है, अतः फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा तैयार करवाई जावेगी। दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। श्री पवन कुमार कानि. व श्री नरेष कानि. मय सरकारी मोटरसाईकिल के वापस कार्यालय आये। दिनांक 20.10.2023 समय 03ः20 पी.एम. पर परिवादी श्री ताराचंद उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि मेरा स्थानान्तरण बूंदी कार्यालय हो गया है। 3-4 दिन पहले डी.एफ.ओ. साहब श्री जयराम पाण्डेय ने फोन कर किसी भी वर्किंग डे पर मुझे मिलने के लिए बुलाया है, हो सकता है वह मुझसे मेरे धारा 17 के नोटिस के बारे में व रिष्वत राषि के बारे में बात कर सकते है। परिवादी ने बताया कि अभी लगातार अवकाष है। दषहरे के बाद मैं उससे बात करने जावूंगा। इस पर परिवादी को दिनांक 25.10.2023 को सुबह 10ः:00 बजे कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। पूर्व के पाबंदषुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी उक्त दिनांक को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 25.10.2023 समय 10ः30 ए.एम. पर पूर्व के तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री देवेष कुमार व श्री रवि कुमार डागर उपस्थित कार्यालय आये। समय 10ः40 ए.एम. पर पूर्व का तलविदा परिवादी श्री ताराचंद उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि मैने मेरे मिलने वाले से मालूम किया है कि डी.एफ.ओ. साहब अभी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है। जैसे ही वह कार्यालय में उपस्थित होगें, मेरे मिलने वाला मुझे बता देगा। दोनों स्वतंत्र गवाह व परिवादी उपस्थित होने से पूर्व में रिकॉर्ड वार्ताओं का रूपान्तरण करवाना आवष्यक होने से मालखाना में रखा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाया गया। रिकॉर्ड वार्ताओं का रूपान्तरण करना प्रारम्भ किया गया। दिनांक 25.10.2023 समय 10ः:50 ए.एम. पर परिवादी, आरोपी अमजद खान, सहायक वनपाल के मध्य हुई वार्ताओं को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, को कार्यालय के सरकारी लेपटोप में लगाकर पृथक-पृथक रिकॉर्ड वार्ता को चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। गवाहान व परिवादी के समक्ष तीनों रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि. से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 25.10.2023 समय 02ः50 पी. एम. पर आरोपी डी.एफ.ओ. श्री जयराम पाण्डे के कार्यालय में आने की संभावना नहीं होने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर वापस मालखाना में रखा गया तथा परिवादी श्री ताराचंद व दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनंाक 02.11.2023 समय 04ः:00 पी.एम. पर परिवादी श्री ताराचंद आर्य उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि आरोपी अमजद को मुझ पर शक हो गया है। अब वह मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वह मुझसे अब रिष्वत राषि नहीं लेगा तथा डी.एफ.ओ. साहब का भी रिटायरमेंट हो गया है। मैं शेष कार्यवाही के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस पर पूर्व के पाबंदषुदा गवाहान को तलब किया गया। समय 04ः:25 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रवि कुमार व श्री देवेष गुर्जर उपस्थित कार्यालय आये। समय 04ः47 पी.एम.पर मालखाना से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 03.08.23, 29.08.23 तथा 18.09.23 को परिवादी ताराचंद आर्य व आरोपी अमजद खान, सहायक वनपाल के मध्य हुई वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, रिकॉर्ड वार्ताओं की हैश वैल्यू की गणना की जाकर 5 पैन डाईव में डब किया गया। एक पैन ड्राईव वजह सबूत न्यायालय के लिए, दो पैन ड्राईव आरोपी एवं एक पैन ड्राईव विधि विज्ञान प्रयोगशाला से नमूना आवाज मिलान व निरन्तरता के परीक्षण हेतु अलग-अलग कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया गया। कपडे की थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखा गया। उक्त पाॅचों पेन ड्राईव को जरिये फर्द जब्त किया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द डबिंग एवं जब्ती पैन ड्राईव पृथक से मुर्तिब की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06ः:00 पी.एम. पर परिवादी श्री ताराचंद आर्य ने एक हस्तलिखित प्रार्थना रिष्वत राषि लौटाने बाबत मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेष किया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये। मालखाना से पूर्व में रखी गई रिष्वत राषि के लिफाफे को निकलवाया गया। रिष्वत राषि 50,000रूपये के भारतीय करेन्सी नोटों पर लगे फिनोफ्थ्लीन पाउडर को कपडे से साफ करवाया जाकर 50,000रूपये के भारतीय करेन्सी नोट व 50000रूपये के डमी नोट परिवादी के सुपुर्द किये गये। फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितोे के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री ताराचंद आर्य, रेंजर, कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा को जून 2023 में गष्तीदल से हटाकर जानबूझकर स्वयं के कार्यालय में सेटलमेंट रेंजर के पद पर लगा दिया। जबकि परिवादी के स्थानान्तरण पर सिविल सेवा अपील अभिकरण, जयपुर द्वारा रोक लगाई हुई है। इसके अलावा परिवादी को पूर्व में दिये गये

धारा 17 सीसीए के नोटिस को फाईल कराने की एवज में श्री अमजद खान सहायक वनपाल ने रिष्वत राषि की मांग की गई । श्री अमजद खान सहायक वनपाल द्वारा परिवादी के नोटिस पर टिप्पणी अंकित की जानी थी। दिनांक 03.08.2023 को रिष्वत मांग का सत्यापन करवाया गया, तो आरोपी अमजद खान,सहायक वनपाल द्वारा ''एक पेटी कहकर'' रिष्वत राषि की मांग की गई परन्तु आरोपी द्वारा रिष्वत राषि लेने का समय व स्थान तय नहीं किया। इस कारण दिनांक 29.08.2023 को पुनः रिष्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा ''बाकि वो तो फेर वो तो सिस्टम तो रहेगा वो तो मामला'' कहकर रिष्वत राषि लेने पर सहमत हुआ तथा रिष्वत राषि लेने हेतु बाद में बताने की कही। लम्बे समय तक आरोपी द्वारा परिवादी से संपर्क नहीं करने के कारण दिनांक 18.09.2023 को टे्रप कार्यवाही का प्रयास किया गया, परन्तु आरोपी अमजद खान सहायक वनपाल द्वारा ''ऐसे नही, बिना जानकारी के नही'' तथा ''अगला तो यस करअ'' कहकर रिष्वत राषि ग्रहण नही की गई। काफी समय व्यतीत होने के बाद भी आरोपी द्वारा परिवादी से संपर्क नहीं किया गया तथा आरोपी द्वारा परिवादी पर शक होने के कारण टे्रप कार्यवाही सफल नहीं हो सकी। इस प्रकार आरोपी अमजद खान पुत्र ताज मोहम्मद उम्र 40 साल निवासी संजय नगर सुल्तानपुर तहसीद दीगोद जिला कोटा तत्कालीन सहायक वनपाल, कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा द्वारा परिवादी के नोटिस को फाईल कराने व परिवादी के पक्ष में अपनी टिप्पणी करने की एवज में रिष्वत राषि की मांग करना धारा 7 भ्र.नि. अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः नियमानुसार बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(डां. प्रेरणा शेखावत)
अति.पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से आरोपी श्री अमजद खान पुत्र ताज मोहम्मद, हाल सहायक वनपाल उप वन संरक्षक, कोटा के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 05/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा के सुपुर्द कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।उपरोक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा आम में रपट संख्या 134 दिनांक 9.1.2024 अंकित की गई है।

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-18-21 दिनांक 09.01.2024

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3.उप वन संरक्षक, जिला कोटा।
4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PRATHVIRAJ MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/01/2024 18:09:15

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)